विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0031213</u>

मेसर्स गणेश मसाला फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, — आवेदक
ग्राम निमरानी,
तह. कसरावद, जिला – खरगोन (म.प्र.)
पिन कोड – 451659

विरूद्ध

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452015

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मण्डलेश्वर, तह. कसरावद,
जिला – खरगोन (म.प्र.)
पिन कोड – 451221

आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गोयल तथा श्री सोमानी उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आदेश
(दिनांक 24.10.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) की शिकायत क्रमांक W0247113 मेसर्स गणेश मसाला फूड्स प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 14.03.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. अनावेदक मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने उपभोक्ता को 38527/– का देयक 12.03.2000 से 01.09.2011 तक की अवधि के लिए जारी किया था । उक्त विद्युत देयक को उपभोक्ता की ओर से चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत् राशि समय बाधित होने से उससे वसूली योग्य नहीं है । अनावेदक विद्युत

वितरण कम्पनी की ओर से फोरम के समक्ष उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में जो जानकारी प्रस्तुत की गई उसके अनुसार उपभोक्ता के परिसर में लगे हुए मीटर की मासिक रीडिंग लेने के बाद प्रतिमाह एम.डी. रीसेट किया जाना था, मीटर वाचक द्वारा दिनांक 01.09.11 के बाद एम.डी. रीसेट नहीं की गई थी । अनावेदक के एस.टी.एम. विभाग द्वारा दिनांक 13.07.12 को मीटर की एम.डी. रीसेट की गई थी । ए.एम. आर. सेल द्वारा एम.आर.आई. प्रतिवेदन का विश्लेषण करने पर दिनांक 01.09.11 से 13.07.11 तक का औसत पावर फैक्टर 0.64 पाया गया था । पावर फैक्टर कम होने से टैरिफ में दिए गए प्रावधान के अनुसार इनर्जी चार्ज का 10 प्रतिशत पावर फैक्टर अधिभार राशि 38527/– रू. निर्धारित की गई थी । दिनांक 01. 09.11 से दिनांक 23.07.12 तक की समय अवधि में पावर फैक्टर हेतु प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, इसलिए उपभोक्ता से 38527 के स्थान पर केवल रू. 19263/– ही वसूली के योग्य हैं ।

3. उभयपक्ष को सुने जाने पर फोरम ने यह निष्कर्ष दिया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 13.07.12 को मीटर रीसेट करने पर दिनांक 01.09.11 से 13.07.12 तक औसत पावर फैक्टर कम होने की जानकारी प्राप्त हुई थी । औसत पावर फैक्टर कम होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद उसका देयक 11.12.11 को जारी किया गया था । राशि की मांग 2 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने के पहले की गई थी, अतः प्रश्नगत् राशि की मांग कालबाधित नहीं है तथा दिनांक 01.09.11 से 13.07.12 तक संयोजन का औसत पावर फैक्टर निर्धारित पावर फैक्टर से कम होने के कारण पावर फैक्टर अधिभार की राशि वसूल पाने का अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को है ।

4. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि फोरम ने पावर फैक्टर का अर्थ समझने में भूल की है तथा औसत पावर फैक्टर कम होने के संबंध में जो निष्कर्ष दिए हैं वह विधिसंगत नहीं है ।

5. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है और फोरम ने विद्युत वितरण कम्पनी के जवाब के आधार पर जो अभिमत दिया है उसका अवलोकन करने से यह तथ्य अभिवादित है कि दिनांक 01.09.11 से 13.07.12 तक उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना न किए जाने के कारण दिनांक 01.09.11 से 13.07.12 की अवधि के लिए औसत पॉवर फैक्टर के आधार पर उपभोक्ता से पॉवर फैक्टर अधिभार की राशि वसूल की जा सकती है ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

6. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 2.1 के खण्ड (एचएच) में पॉवर फैक्टर को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है :–

''पावर फैक्टर'' का तात्पर्य औसत मासिक पावर फैक्टर से है । इसे माह में प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घण्टों को कुल किलो वोल्ट एम्पीयर घण्टों के अनुपात में प्रतिशत में दर्शाया जावेगा । इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में दर्शाया जावेगा । दशमलव के तीसरे स्थान पर 5 या इससे अधिक की संख्या होने पर इसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक ज्यादा कर पूर्णांक बनाया जावेगा । यदि किलोवाट घण्टों या किलोवाट एम्पीयर घण्टों का वाचन उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घण्टों के वाचन के आधार पर पावर फैक्टर की गणना की जावेगी, यदि मीटर में किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घण्टे रिकार्ड करने की सुविधा हो;

7. पॉवर फैक्टर की उक्त परिभाषा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पॉवर फैक्टर का आशय औसत मासिक पॉवर फैक्टर से है और इसे माह में प्रदान किए गए कुल किलोवाट घण्टों को कुल किलोवोल्ट इम्पीयर घण्टों के अनुपात में प्रतिशत में दर्शाया जावेगा अर्थात् किसी उपभोक्ता के परिसर में पॉवर फैक्टर की संगणना करने के लिए जो भी उपकरण लगाए जाए वह उपकरण प्रत्येक माह का औसत मासिक पॉवर फैक्टर निर्धारित करेगा । एक से अधिक महीनों में उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए गए ऊर्जा की मात्रा के परिपेक्ष्य में पॉवर फैक्टर की संगणना नहीं करनी है अपितु उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक माह उपभोग किए गए पॉवर फैक्टर की संगणना किया जाना अपेक्षित है ।

8. विद्युत प्रदाय संहिता या भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में कही भी यह प्रावधान नहीं है कि यदि किसी उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के द्वारा औसत मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना नहीं की जाती है तो किसी विशिष्ट महीनें के मासिक पॉवर फैक्टर के आधार पर एक से अधिक महीनों का औसत मासिक पॉवर फैक्टर संगणित किया जा सकता है ।

9. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि दिनांक 01.09.11 से 13.07.12 तक संयोजन का औसत पॉवर फैक्टर कम था, इसके कारण पॉवर फैक्टर अधिभार की राशि तत्कालीन टैरिफ के अनुसार वसूली योग्य है । ऐसा निष्कर्ष दिए जाते समय यदि फोरम

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में पॉवर फैक्टर की जो परिभाषा दी गई है उसका अवलोकन किया जाता तब संभवतः ऐसे निष्कर्ष नहीं दिए जाते । फोरम ने अपने विवेचन एवं निष्कर्ष में ''औसत पॉवर फैक्टर'' वाक्य का प्रयोग किया है, जबकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय के लिए जो टैरिफ आदेश जारी किया गया है उन टैरिफ आदेश में औसत मासिक पॉवर फैक्टर की कमी होने पर उपभोक्ता से शास्ती वसूल करने का निर्देश दिया गया है । औसत मासिक पॉवर फैक्टर कम होने पर उपभोक्ता से शास्ती वसूलने का निर्देश दिए जाने की दशा में दण्डात्मक प्रावधान है और जब किसी उपभोक्ता से दण्ड वसूल किया जाना है उस स्थिति में ऐसे उपभोक्ता का दोष प्रथमदृष्टि साबित किया जाना आवश्यक है । इस मामलें में विद्युत वितरण कम्पनी के मीटर वाचक ने दिनांक 01.09.11 के बाद से मीटर की एम.डी. रीसेट नहीं की थी, जिसके कारण दिनांक 13.07.12 तक औसत मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना नहीं की गई थी । मीटर वाचक अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का कर्मचारी था और अपने कर्तव्यों के लिए वह कम्पनी के प्रति उत्तरदाई था । कम्पनी के कर्मचारियों की गलती के कारण यदि औसत मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना नहीं की गई थी तो कई महीनें बाद अनुमान के आधार पर औसत मासिक पॉवर फैक्टर की संगणना किए जाने का अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को भारतीय विद्युत अधिनियम अथवा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में कम्पनी को नहीं दिया गया है । अतः फोरम का यह निष्कर्ष कि दिनांक 01.09.11 से 13.07.12 तक संयोजन का औसत पॉवर फैक्टर निर्धारित पॉवर फैक्टर से कम था, विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

10. उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित होता है कि पॉवर फैक्टर से आशय, औसत मासिक पॉवर फैक्टर से है तथा औसत मासिक पॉवर फैक्टर कम होने पर ही उपभोक्ता से शास्ती (पैनल्टी) वसूल की जा सकती है । इस मामले में उपभोक्ता का औसत मासिक पॉवर फैक्टर प्रत्येक माह निर्धारित नहीं किया गया था, ऐसी स्थति में 01.09.11 से 13.07.12 की अवधि के लिए सामूहिक रूप से अनावेदक कम्पनी उपभोक्ता से औसत मासिक पॉवर फैक्टर कम होने के आधार पर शास्ती (पैनल्टी) वसूल पाने की अधिकारी नहीं है ।

11. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है तथा यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से रू. 19263/– की राशि शास्ती (पैनल्टी) के रूप में वसूल पाने की अधिकारी नहीं है । यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई राशि जमा की गई हो तो वह राशि उसें 2 माह के अन्दर वापस की जाय अथवा आगे आने वाले देयकों में उसका समायोजन किया जावे ।

12. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल